

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

10

सेवा में.

सलाहकार (न्यायिक).
मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

पत्र संख्या 34 /23-स्था.नि../2025

विषय:-

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित 1319/2024 हेमन्त सिंह गौनिया एवं अन्य बनाम उत्तरा
राज्य के संबंध में ।

दिनांक: 18 जनवरी,

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. 1319/2024 हेमन्त सिंह गौनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 का ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका प्रभावी अंश निम्नानुसार है:-

3. In the above facts and circumstances, prima facie, we are satisfied that a substantial que relating to environment has arisen out of implementation of enactments mentioned in Schedule 1 of Act, 2010 but before proceeding further in matter, we find it appropriate to obtain a factual report for w we constitute Joint Committee comprising District Magistrate, Nainital, Uttarakhand State Pollution Co Board and Central Pollution Control Board. District Magistrate, Nainital shall be noda authority coordination and compliance.

4. Above Committee shall visit site, collect relevant information, interact with stakeholders and submit a factual report within six weeks.

मा. अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के क्रम में कार्यालय आदेश संख्या 49/23-स्था /2024 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 के द्वारा समिति का गठन किया गया (संलग्नक-1)।

गठित समिति द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 131 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा संयुक्त आख्या प्रस्तुत गयी है। (संलग्नक-2)।

अतः मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No. 1319/2024 हेमन्त सिंह गौनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन में उक्तानुसार गठित समिति की संयुक्त आ मा. अधिकरण के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-यथोपरि।

भवदीय,

(शिव चरण द्विवेदी),
अपर जिलाधिकारी (प्र.)
नैनीताल।



11

आदेश

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-1319/2024 "हेमंत सिंह गोनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य" में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन के निम्न अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

- 1- नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी।
- 2- श्री ए.के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

अतः मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या 1319/2024 "हेमंत सिंह गोनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य" में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त समिति मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण से गठित समिति से समन्वय करते हुए समयबद्ध रूप से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगी।

दिनांक : 12.12.2024

ह./-

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

पत्रांक 49 /23-स्थानीय निकाय/2024

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी नैनीताल।
2. श्री ए.के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

(शिव चरण द्विवेदी)
अपर जिलाधिकारी, (प्र.)
नैनीताल।


संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. 49/23-स्थानीय निकाय/2024 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 द्वारा मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-1313/2024 "हेमंत सिंह गोनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य" में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन में निम्न अधिकारियों को नामित किया गया था:-

- 1- नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी।
- 2- श्री ए.के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उपरोक्त समिति के साथ-साथ उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी को भी नामित किया जाता है।

अतः मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-1313/2024 "हेमंत सिंह गोनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य" में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त समिति दिनांक 23.12.2024 एवं 24.12.2024 को समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध रूप से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगी।


अपर जिलाधिकारी(प्र.)
नैनीताल।


कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

पत्रांक 51 /23-स्थानीय निकाय/2024

दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी।
- 2- उप जिलाधिकारी, हल्द्वानी।
- 3- श्री ए.के. त्रिपाठी, वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ।
- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।



अपर जिलाधिकारी(प्र.)
नैनीताल।

कार्यालय उप-जिलाधिकारी हल्द्वानी, जिला-नैनीताल

पत्रांक संख्या:- 121

दिनांक:- 13-1-25

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
जिला-नैनीताल।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-1319/2024 हेमंत सिंह गौनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 51/23-स्थानीय निकाय/2024 दिनांक 17.12.2024 के अनुपालन में सन्दर्भित नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल गौला रौखड़, गौला बाईपास रोड़ हल्द्वानी, नैनीताल का संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा दि0 23.12.2024 को किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्नको सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(भरितोष वर्मा)
उप-जिलाधिकारी, हल्द्वानी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदया, नैनीताल को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री ए0के0 त्रिपाठी वैज्ञानिक-ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

ADM/0018e

जिलाधिकारी

नैनीताल

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल

संख्या-952 दिनांक 17/01/25

उप-जिलाधिकारी, हल्द्वानी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 1319/2024 हेमंत सिंह गौनिया एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन में गठित समिति की संयुक्त

निरीक्षण आख्या:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा हेमंत सिंह गौनिया निवासी हल्द्वानी एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र दिनांक 13.09.2024 का संज्ञान लेते हुए हल्द्वानी शहर के जिला-नैनीताल में ट्रेडिंग ग्राउंड में ठोस अपशिष्ट के अवैध और अवैज्ञानिक हैंडलिंग, प्रबंधन, निपटान और डम्पिंग के संबंध में स्थलीय संयुक्त निरीक्षण करवाये जाने के संबंध में दिनांक 29.11.2024 को आदेश पारित किये गये हैं। जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"In the above facts and circumstances, Prima facie, we are satisfied that a substantial question relating to environment has arisen out of implementation of enactments mentioned in schedule 1 NGT Act, 2010 but before proceeding further in matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which we constitute Joint Committee comprising District Magistrate, Nainital, Uttarakhand State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. District Megistrate, Nainital shall be nodal authority for coordination and compliance"

Above committee shal visit site, collect relevant information interact with stakeholders and submit a factual report within six weeks.

List on 16.01.2025

मा0 एन0जी0टी द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-01)

तदकम में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्रांक 51/23-स्थानीय निकाय/2024 दिनांक 17.12.2024 द्वारा सदस्य नामित कर दिनांक 23.12.2024 को संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गयी। (संलग्नक-02) उपरोक्त के अनुपालन में संदर्भित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में उपस्थिति निम्नवत है-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल के प्रतिनिधि श्री पारितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी
2. ए0के0 त्रिपाठी वैज्ञानिक-ग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ।
3. अनुराग नेगी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।
4. श्री मनोज काण्डपाल नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिनिधि नगर निगम हल्द्वानी।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान दूरभाष पर शिकायतकर्ता श्री हेमंत सिंह गौनिया से संपर्क किया गया। श्री गौनिया द्वारा निरीक्षण में उपस्थित होने पर असमर्थता व्यक्त की गयी। संदर्भित शिकायती स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल गौला रौखड़, गौला बाईपास रोड़ हल्द्वानी, नैनीताल में वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि लगभग 4.0 है0 क्षेत्र में स्थापित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (IA.III अनुभाग) के पत्र संख्या:- F.No. 10-6/2017-IA-III दिनांक 10.10.2017 द्वारा नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदम जिला-नैनीताल में एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के अन्तर्गत पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार 30 वर्षों की लीज पर सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या:-2661/IV(3)-2018-12(22 SWM)/18 दिनांक 19.09.2018 के द्वारा हल्द्वानी काठगोदम कलस्टर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कूड़ा संग्रहण स्थल वर्ष 2018-19 से संचालन में है। (संलग्नक-03)

AR

Asst. Magistrate

1/11/25

2. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत कुल 60 वार्ड है तथा निकाय की जनसंख्या जनणना वर्ष-2011 के अनुसार 2,80,604 है। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम से प्रतिदिन जनित होने वाले नगरीय ठोस की मात्रा लगभग 150 मैट्रिक टन /दिन है। जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट को नगर निगम हल्द्वानी परिक्षेत्र में समस्त वार्डों से एकत्रित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त नगर पालिका नैनाताल से लगभग 25.0 मैट्रिक टन/दिन, नगर पालिका भवाली से लगभग 6.0 मैट्रिक टन /दिन, नगर पंचायत भीमताल से लगभग 3.0 मैट्रिक टन/दिन नगर पंचायत लालकुआँ से लगभग- 8.0 मैट्रिक टन/दिन तथा जिला पंचायत नैनीताल की पंचायतों से लगभग 15.0 मैट्रिक टन/दिन कुल लगभग 207 मैट्रिक टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है। एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट का नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार वैज्ञानिक रूप से निस्तारण हेतु प्रसंस्करण तथा शोधन की व्यवस्थाएँ नहीं है। (संलग्नक-04)
3. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर एकत्रण/संग्रहण हेतु फर्म मै0 मैजिक जिनी स्मार्टटैक सौल्यूशन लि0 गुडगाँव हरियाणा के साथ अनुबंध किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रभावी संग्रहण के लिये निगम में टाटा एस हाइड्रोलिक टिप्पर-01, रिफ्यूज कलेक्टर/कॉम्पेक्टर-04, स्काई लिफ्ट-03, बैक लोडर-01, टैक्टर-04, जटायू वाहन-01 व गारबेज टिप्पर-46 नग वाहनों का उपयोग किया जाता है। वाहनों द्वारा डोर-टू-डोर ठोस अपशिष्ट का एकत्रण कर निस्तारण स्थल तक ले जाया जाता है। निस्तारण स्थल में ठोस अपशिष्ट के भार मापन हेतु मापन यंत्र (Weighing Bridge) स्थापित है। निरीक्षण के दौरान भार मापन यंत्र संचालन में नहीं पाया गया। (संलग्नक-05)
4. निरीक्षण के दौरान निस्तारण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण स्थानीय कचरा बीनने वालों के माध्यम से मैनुअली किया जा रहा था। नगर निगम हल्द्वानी परिक्षेत्र में कूड़ा संग्रहण हेतु केवल डम्पिंग साईट उपलब्ध है, स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है, निस्तारण स्थल पर अजैविक ठोस अपशिष्ट हेतु प्रसंस्करण तथा शोधन व्यवस्थाएँ नहीं है तथा जैविक अपशिष्ट के निस्तारण के लिये कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग आदि व्यवस्था नहीं है। जिस कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट वृहत मात्रा में एकत्रित पाया गया तथा संयुक्त निरीक्षण के दौरान निस्तारण स्थल पर दुर्गन्ध थी। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा जैविक तथा अजैविक नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 यथासंशोधित के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। (संलग्नक-06)
5. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम निस्तारण स्थल पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुरूप एस.एल0एफ0 की स्थापना तथा लीचेट संग्रहण की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा निस्तारण स्थल पर स्थापित ट्रामल मशीनें भी संचालन में नहीं पायी गयी।
6. संयुक्त अपशिष्ट निस्तारण स्थल में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप हरित पट्टिका विकसित नहीं की गयी है तथा स्थापित वॉउड्री वाल क्षुतिग्रस्त पायी गयी।
7. लीगेसी वेस्ट के संबंध में नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम निस्तारण स्थल (डम्प साईट) पर 88,750 मी0टन लीगेसी वेस्ट का पूर्व में वैज्ञानिक तरीके से निपटान हेतु M/s Peoples Association for total Help & Youth applause RZ-15/9, KH No. 15/7, Galli No. 9 Mahavir Enclave, New Delhi के साथ अनुबंध किया गया था। फर्म द्वारा 88,750 मैट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जनित 677.320 मैट्रिक टन पोस्ट-कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट (एमएलपी/आरडीएफ) को मै0 रिकार्ट ईनोवेशन प्रा0लि0 के माध्यम से निस्तारित किया गया है, जिसकी लॉग बुक संलग्न है। निस्तारण स्थल पर वर्तमान में 1.39 लाख मैट्रिक टन मात्रा में लीगेसी वेस्ट अवशेष है। अवशेष लीगेसी वेस्ट के आंकलन की एफ0आर0पी0 की

प्रति संलग्न है, एकत्रित लीगेसी वेस्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर निगम हल्द्वानी तथा एन0टी0पी0सी0 विद्युत व्यापार निगम लि0 से Development of Municipal Solid Waste to Torrifed Charcoal Plant Facility (Capacity-500TPD) स्थापित किये जाने हेतु M.O.U हस्ताक्षरित किया गया है तथा निविदा एवं मूल्यांकन की प्रकिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त निकाय द्वारा लगभग 11,940 कि0लो0 प्लास्टिक को रिसाईकिलिंग कराया गया है। (संलग्नक-07)

8. उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थल पर एकत्रित लीगेसी अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सशर्त संचालनार्थ सहमति दिनांक 31.03.2024 तक निर्गत की गयी है। जिसका नवीनीकरण वर्तमान तक नहीं किया गया है। (संलग्नक-08)
9. संयुक्त निरीक्षण के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ट जलता हुआ नहीं पाया गया। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल में समय-समय पर आगजनी की घटना पर नोटिस प्रेषित किये गये हैं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने पर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। आगजनी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा ठोस अपशिष्ट एकत्रण स्थल पर वाटर टैंकरों की व्यवस्था तथा निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना की गयी है, जो संयुक्त निरीक्षण के दौरान संचालन में पाये गये। निगरानी हेतु स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों में ऑनलाईन सैट्रैलाइज प्रणाली स्थापित नहीं है। (संलग्नक-09)
10. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल के पूर्व दिशा में प्रवाहित गौला नदी में जल प्रवाह नहीं पाया गया तथा अपशिष्ट निस्तारण के समीप उत्तराखण्ड जल संस्थान ट्यूबवेल गौजाजाली उत्तर हल्द्वानी से भू-गर्भीय जल (ट्यूबवेल) का नमूना एकत्रित कर विश्लेषित किया गया है। भू-गर्भीय जल की गुणवत्ता IS:10500 के अन्तर्गत है। (विश्लेषण आख्या संलग्न) (संलग्नक-10)
11. संयुक्त निरीक्षण के दौरान अपशिष्ट निस्तारण स्थल के समीप उत्तराखण्ड जल संस्थान ट्यूबवेल गौजाजाली उत्तर हल्द्वानी में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया गया है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा विश्लेषण किया गया है, प्राप्त परिणाम निम्नानुसार सारणीबद्ध है-

Parameter	Measurd Value	Standard Value
RSPM PM ₁₀ (24 hours)	112.4 µg/m ³	100
SO _x (24 hours)	8.9 µg/m ³	80
NO _x (24 hours)	26.2 µg/m ³	80


प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि परिवेशीय वायु गुणवत्ता PM₁₀ (24 hours) की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानको के अधिक है तथा SO_x एवं NO_x की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानको के अन्तर्गत है। (आख्या संलग्न है) (संलग्नक-11)

उपचारात्मक उपाय तथा अनुशंसाएं:-

- उपरोक्तानुसार नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा निर्गत पर्यावरणीय शर्तों तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 यथासंशोधित का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को निम्नलिखित का अनुपालन किये जाने हेतु समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर कियान्वयन करना चाहिये।
1. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन तथा नियमानुसार व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करते हुये ठोस










अपशिष्ट का निस्तारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 यथासंशोधित के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से किया जाये।

2. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा जल/वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त कर निस्तारण स्थल पर एकत्रित ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निस्तारित किये जाने हेतु गति प्रदान की जाये।
3. निस्तारण स्थल पर लीचेट के संग्रहण और उसके उपचार हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 यथासंशोधित के अनुसार प्रणाली स्थापित की जाये।
4. निस्तारण स्थल के आस-पास आगजनी की घटनाओं पर निगरानी हेतु स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों में ऑनलाईन सेंटरल मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की जाये तथा आगजनी की घटनाओं एवं भू-जल की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखी जानी जाये। वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की जाये।
5. नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुरूप हरित पट्टिका विकसित की जाये तथा क्षतिग्रस्त वाउड्री वाल की मरम्मत की जाये।

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


मनोज काण्डपाल
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी


अनुराग नेगी
क्षेत्रीय अधिकारी
यू0के0पी0सी0बी0, हल्द्वानी


ए0के0 त्रिपाठी
वैज्ञानिक-ग


परितोष वर्मा
उपजिलाधिकारी हल्द्वानी

सी0पी0सी0बी क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ